न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-01, हरदोई।

सत्र परीक्षण सं० 109/86

सरकार बनाम राजाराम आदि

एवं

सत्र परीक्षण सं० 100/1989

सरकार बनाम हरनाम आदि

संबंधित अपराध सं० 32/82

थाना कासिमपुर, जनपद हरदोई।

दिनांक 02-02-2023

पुकारा गया।

पुकार पर सत्र परीक्षण सं० 109/86 सरकार बनाम राजाराम आदि के मामले में अभियुक्त तुलसीराम उपस्थित। अभियुक्त राजाराम की फौती रिपोर्ट प्राप्त है। उपनिरीक्षक संतोष कुमार का बयान सत्र परीक्षण सं० 109/86 में सी०डब्लू० 1 के रूप में लेखबद्ध किया गया। सत्र परीक्षण सं० 109/86 के मामले में अभियुक्त राजाराम की मृत्यु के कारण उसके विरूद्ध दाण्डिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है।

सत्र परीक्षण सं० 100/89 में अभियुक्त हरनाम सिंह उपस्थित। अभियुक्त महेश व राजबहादुर की फौती आख्या के तामीलकर्ता उपनिरीक्षक संतोष कुमार उपस्थित। सी०डब्लू० 1 के रूप में सत्र परीक्षण सं० 100/86 में उनका बयान लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त महेश व राजबहादुर की मृत्यु के कारण उनके विरूद्ध दाण्डिक वाद उपशमित किया जाता है।

यह पत्रावली मेरे समक्ष प्रथम बार दिनांक 03-01-2023 को प्रस्तुत हुई।

सत्र परीक्षण सं० 109/86 सरकार बनाम राजाराम व सत्र परीक्षण सं० 100/89 सरकार बनाम हरनाम आदि मुकदमा अपराध सं० 32/82 थाना कासिमपुर जनपद हरदोई से उदभूत है।

दोनों पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इससे संबंधित क्रास केस मुकदमा अपराध सं० 32ए/1982 अन्तर्गत धारा 307,147,148,149 भा०दं०सं० थाना कासिमपुर के मामले में कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रि०मि० केस नं० 848/83 दिनांक 19-4-1983 से स्थगित की गई। हरनाम आदि की पत्रावली के अभिलेख पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की सत्य प्रतिलिपि दिनांकित 19-4-1983 कागज सं० 17-ब है। जिसमें निम्न आदेश पारित है-

''Summon the lower Courts record and stay proceedings.''

सत्र परीक्षण सं० 109/1986 की पत्रावली में विशेष एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदोई का पत्र संलग्न है। जिसके द्वारा जे०एम० द्वितीय हरदोई को यह पत्र प्रेषित किया गया था कि एस०टी०नं० 109/86 सरकार बनाम राजाराम धारा 307,147,148,148 भा०दं०सं० थाना कासिमपुर उनके न्यायालय से दिनांक 07-03-1986 को कमिट किया गया था। पत्रावली पर कोई मूल कागजात शामिल नहीं है। मूल कागजात भेजे जावे।

सत्र परीक्षण सं० 109/86 की पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रि०मि० केस नं० 406/92 राजबहादुर एवं अन्य बनाम स्टेट में पारित दिनांक 08-5-1992 के आदेश की सत्यप्रतिलिपि कागज सं० 44 अ है जिसमें निम्न आदेश पारित किया गया है-

Digitally signed by Satya deo gupta
Date: 2023.02.08 10:34:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

''Till the next date of listing proceedings, in S.T. No 100/89 and 109/86 pending in the Court of Special judge, hardoi shall remain stayed.''

सत्र परीक्षण सं० 100/89 की पत्रावली का मूल अभिलेख नहीं है, जबकि सत्र परीक्षण सं० 109/86 की पत्रावली में तितम्मा आरोपपत्र व एस०सी०डी० संलग्न है। उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि क्रि०मि० केस नं० 848/83 सोनेलाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० में रिकार्ड तलब किया गया है तथा सत्र परीक्षण सं० 100/89 की मूल पत्रावली नहीं है। अतः माननीय उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया जाना समीचीन है कि क्रि०मि० केस नं० 848/83 सोनेलाल बनाम स्टेट तथा उससे संबंधित क्रि० मि० केस नं० 406/92 राजबहादुर बनाम स्टेट के मामले में तलबशुदा अभिलेख को मंगाये जाने के संबंध में अनुरोधपत्र भेजा जावे।

पत्रावली दिनांक 21–02–2023 को पेश हो। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि जो कागज सूचीबद्ध नहीं है, उन्हें सूचीबद्ध करें। आदेश की प्रति संबंधित एस०टी०नं० 100/89 में रखी जावे।

(सत्यदेव गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1, हरदोई।